नम्बर व जो इस तामील

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 19/2023

बउनवान

श्रीमति सुनीता बाठला आयु 55 वर्ष पत्नी श्री प्रदीप बाठला जाति खत्री निवासी कोटा रोड़ बारां तहसील बारां जिला बारां (राज0) (अपीलांट)

बनाम

राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां (राज0) (रेंस्पोडेंट)

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1229 आदेश दिनांक 14.01.2011 ग्राम कलमण्डा
न्यायालय तहसीलदार, बारां
अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

जिला कलेक्टर बारां (राज0)

उपस्थिति :– 1. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन एडवोकेट (अपीलांट)
2. परोकार सरकार (रेंस्पोडेंट)

निर्णय दिनांक 29.08.2023

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कलमण्डा में आराजी खाता संख्या 344 पुराना 335 में वर्णित खसरा नंबर 545 रकबा 4.05 है. में से रकबा 0.40 है. को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 30.04.2010 को उक्त आराजी के खातेदार मदनलाल मुतबन्ना धन्ना जाति माली निवासी ग्राम कलमण्डा से अपीलांट ने कीमतन खरीद की थी। जिस पर खातेदार मदनलाल द्वारा अपीलांटा/केता को मौके पर कब्जा व दखल उसी समय दे दिया था। ग्राम पंचायत कलमण्डा ने विकय पत्र अनुसार इंतकाल नंबर 1196 दिनांक 05.06.2010 से आराजी का बटा नंबर 545/1 रकबा 0.450 है. दर्ज करते हुए अपीलांट का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया था। आराजी खसरा नंबर 545/1 रकबा 0.40 है. उत्तरी आराजी में से पेट्रोल पम्प के लिये जिला कलेक्टर बारां द्वारा संपरिवर्तन आदेश कमांक एफ0/4(2)(47)राजस्व/2010/4640 दिनांक 19.11.2010 से 1400 वर्गमीटर 0.14 है. आराजी को अपीलांट के खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राज0 भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों कृषि भूमि अकृषि प्रयोजनो के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन पेट्रोल पम्प के नाम संपरिवर्तन कर दी थी। परन्तु संपरिवर्तन आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने 0.14 है. आराजी के स्थान पर सम्पूर्ण रकबा 0.40 है. का गलत रूप से अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1229 दिनांक 14.01.2011 खोला जाकर सम्पूर्ण भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पेट्रोल पम्प हेतु (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन नियम 2007) के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया है। अस्तु अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्तनीय होने से निरस्त किया जाकर संपरिवर्तन आदेश [illegible] में संपरिवर्तन की गई 1400 वर्गमीटर यानि 0.14 है. वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ [illegible] पम्प हेतु राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते हुए शेष रकबा 0.26 है. अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.19 11:16:11 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल खोलते समय वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित रकबा 1400 वर्गमीटर यानि 0.14 है. के स्थान पर अपीलांट के खाते का सम्पूर्ण रकबा 0.40 है. का इंतकाल खोला जाकर तस्दीक कर सम्पूर्ण आराजी को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पेट्रोल पम्प हेतु राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी। अतः ग्राम कलमण्डा का नामान्तकरण संख्या 1229 आदेश दिनांक 14.01.2011 निरस्त किया जाकर संपरिवर्तन आदेश दिनांक 19.11.2010 अनुसार पुनः नये सिरे से ग्राम कलमण्डा में स्थित अपीलांट के खाते की आराजी खसरा नंबर 545/1 रकबा 0.40 है. में से 1400 वर्गमीटर यानि 0.14 है. का नामान्तरकरण वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पेट्रोल पम्प हेतु एवं शेष आराजी 0.26 है. का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा नामांतकरण निर्णय दिनांक 14.01.2011 के इतने समय पश्चात अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है, जो मियाद बाहर होने के कारण निरस्त फरमाई जावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

संपरिवर्तन आदेश क्रमांक एफ0/4 (2) (47) राजस्व/2010/4640 दिनांक 19.11.2010 के मुताबिक आराजी खसरा नंबर 545/1 रकबा 0.40 है. में से 1400 वर्गमीटर भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया। अतः उक्त भूमि का नामान्तरकरण खोलकर शेष भूमि अपीलांट के खाते में दर्ज की जानी चाहिये थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1229 दिनांक 14.01.2011 से सम्पूर्ण भूमि खसरा नंबर 545/1 रकबा 0.40 है. का संपरिवर्तन का नामान्तरकरण गलत रूप से दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम कलमण्डा का नामान्तरकरण संख्या 1229 दिनांक 14.01.2011 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बारां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि बाद जांच संपरिवर्तित भूमि 1400 वर्गमीटर का संपरिवर्तन का नामान्तरकरण दर्ज करें तथा यदि खातेदारी भूमि में से भूमि समपर्ण नहीं कराई गई हो तो शेष भूमि का अपीलांट की खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज किया जाए।

निर्णय आज दिनांक 29.08[illegible]23 [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.19 11:16:11 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)